न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17/2020

बलदेव सिंह बनाम प्रदीप सिंह आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए)

--आदेश-- दिनांक : 19.05.2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद चक 9 ओ के खाता संख्या 57/57 मे बलवीर सिंह के रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 4 कुल 1.012 हेक्टेयर रकबा का वादी को खातेदार घोषित किये जाने का वाद पेश किया हुआ है। जो गलत पेश किया गया है। वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और ना ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। इसके अलावा माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की फुल बेंच द्वारा भी निर्णय पारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते और ना ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा न्यायालय मे चलाया जा सकता है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी का वाद मौजूदा स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करके अर्ज है कि वादी का उक्त वाद मौजूदा स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि नकल अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलायी गई अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार वादी विवादित भूमि पर 20.04.1993 से आज तक इकरारनामा की रूह से लगातार काबिज चला आ रहा है। मौका पर विवादित भूमि पर वादी ने फसल काश्त कर रखी है। इस कारण वादी कब्जा मुखालफाना 27 वर्षो के लगातार कब्जा के आधार पर स्वत ही विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है। वादी ने अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में मुख्य अनुतोष यह मांगा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे ताकि वे विवादित आराजी चक 9 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 57/57 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 4 में दर्ज अपने हिस्सा की मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वादी के कब्जा में किसी भी किस्म की दखल अन्दाजी करने से निषिद्व रहे। वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व स्वेंणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। माननीय न्यायालय रवेन्यू बोर्ड अजमेर की फुल बेंच द्वारा भी निर्णय पारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते और ना ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा न्यायालय में चलाया जा सकता है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी वाद खारिज किया जावे। अप्रार्थी(वादी) के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि वादी ने अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में मुख्य अनुतोष मे विवादित भूमि के संबध मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व स्वंणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलो मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठो द्वारा निम्न मामलो मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नही है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया है कि वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी को कोई वादकारण हासिल है या नहीं, इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वाद पत्र के अनुतोष मे अंकित किया है कि वादी द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 20.04.1993 क्रय की भूमि पर वादी को 27 वर्षो के मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

वादी द्वारा यह अनुतोष जरिए इकरारनामा क्रय की गई भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मांगा गया है। इसलिए वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित कहा जा सकता। वादी को इस वादगत भूमि में से कोई हक या हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, राजस्व न्यायालय में नहीं। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में उल्लेखित माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत के सम्मानपूर्वक अवलोकन से न्यायिक दृष्टांत के निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर